"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547] रायपुर, शनिवार, दिनांक 31 अगस्त 2019 — भाद्रपद 9, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8867/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./19. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16-08-2019 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 12 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019

छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मूल अधिनियम की उद्देशिका में संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, उद्देशिका में, शब्द "पट्टाधृति अधिकार" के पश्चात्, शब्द एवं चिन्ह "तथा कतिपय प्रकरणों में, पट्टाधृति अधिकार के स्थान पर भूमि-स्वामी अधिकार" अन्त:स्थापित किया जाये.

धारा 2 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खण्ड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(कक) 'भूमि-स्वामी अधिकार' का वही अर्थ होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) और समय समय पर यथा संशोधित में, परिभाषित है;"

नवीन धारा 3-ङ का अन्त:स्थापन. 4. मूल अधिनियम में, धारा 3-घ के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"3-ङ. कतिपय प्रकरणों में पट्टाधृति अधिकार को भूमि-स्वामी अधिकार में परिवर्तित करना.- इस अधिनियम में दी गई किसी विपरीत बात के होते हुए भी, भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति से इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त किये जाने पर, पट्टाधृति अधिकार को भूमि-स्वामी अधिकार में, ऐसे निर्बंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये, आवेदक के नाम से, परिवर्तित किया जा सकेगा."

अटल नगर, दिनांक 31 अगस्त 2019

क्रमांक 8867/डी. 154/21-अ/प्रारू./छ. ग./19.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31-08-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 12 of 2019)

THE CHHATTISGARH NAGARIYA KSHETRO KE BHOOMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2019

An Act further to amend the Chhattisgarh Nagariya Kshetro ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Seventieth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment to the preamble in the Principal Act.

2. In Chhattisgarh Nagariya Kshetro Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984), (hereinafter referred to as the Principal Act), in preamble, after the words "leasehold rights on landless persons", the words and punctuations "and in certain cases, conversion of the leasehold rights to freehold rights" shall be inserted.

Amendment of Section 2.

3. (1) In Section 2 of the Principal Act, after clause (a), the following shall be added, namely :-

"(aa) "Bhumi Swami Rights" shall have the same meaning as defined under Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and as amended from time to time;"

Insertion of New Section 3-E.

4. In the Principal Act, after Section 3-D, the following shall be added, namely :-

"3-E. Conversion of Leasehold Rights to Bhumiswami Rights in Certain Cases.- Notwithstanding anything contained contrary in this Act, on receiving the application by the authorized officer from the person in possession of the land, for this purpose, the leasehold rights may be converted in Bhumiswami rights in favour of the applicant on such terms and conditions as may be prescribed by the Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.